1. महाराष्ट्र सरकार ने किस उधोगपति को 'उधोग रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया है

a) गौतम अडानी
b) मुकेश अंबानी
c) रतन टाटा ✓

2. हाल ही में 'किस राज्य ' को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है ?

a) केरल
b) हिमाचल प्रदेश ✓
c) उत्तराखंड

3. दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट 'पिबोट' लॉन्च किया है ?

a) साउथ कोरिया ✓
b) उत्तर कोरिया
c) रूस

4. राज्य में मक्खन महोत्सव 'अंडूरी' का आयोजन किया गया है ?

a) उत्तर प्रदेश
b) हरियाणा
c) उत्तराखंड ✓

5. हाल ही में कहाँ के 'मैटी केले' को GI टैंग मिला है .?

a) कन्याकुमारी ✓
b) न्यूजीलैंड
c) बांग्लादेश

6. हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक शुरू हुई है .?

a) नई दिल्ली
b) जयपुर ✓
c) शिमला

7. अंडर- 20 विश्व खिताब जितने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी .?

a) सविता
b) प्रिया मलिक
c) अंतिम पंघाल ✓

8. हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है .?

a) 18 अगस्त
b) 20 अगस्त ✓
c) 17 अगस्त

9. साउथ इंडियन बैंक नए एमडी / सीईओ कौन बने है .?

a) पीआर शेषाद्री ✓
b) अमित झिंगरन
c) आदिल सुमरिवाल

10. हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियंस 2023 शुरू हुई है .?

a) चीन
b) फ्रांस
c) हंगरी ✓

पेंशन

पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, वह न्यूनत्तम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या एक वर्ष से पूर्व भी, यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद, उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है।

01.01.2006 से पेंशन की गणना, औसत परिलब्धियों, नामत: सेवा के विगत 10 महीनों के दौरान मूल वेतन का औसत या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो का 50% है। 01.01.2006 से पूर्व, 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए, यदि कुल अर्हक सेवा 30 वर्ष और 4 माह है। (अर्थात: 61 अर्धवर्ष) तो पेंशन की गण्ना निम्नवत् की

पेंशन राशि = आर/2(X) 61/66

जहाँ आर, अंतिम 10 माह की अर्हक सेवा की औसत परिलब्धियों से अभिप्रेत है।

इस समय, न्यूनतम पेंशन 3500/- रु. प्रतिमाह है। पेंशन की अधिकतम सीमा, भारत सरकार में उच्चतम वेतन (वर्तमान में 45,000/- रु.) का 50% प्रतिमाह है। पेंशन, मृत्यु के दिन सहित तक देय है।

ऊपर

पेंशन का संराशीकरण

केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 01.01.1996 से अपने पेंशन के एक भाग के संराशीकरण, जो 40% से अधिक न हो, के एकमुश्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि एक वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो उसे विनिर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा।

देय एकमुश्त राशि की गणना जन्मांकित आधार पर तैयार की गई संराशी सारणी के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन में से संराशीकृत भाग घटा दिया जाएगा और पेंशन के संराशीकृत राशि प्राप्त होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद संराशीकृत भाग को पुन: जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, मंहगाई राहत की गणना, मूल पेंशन के आधार पर (अर्थात् संराशीकृत भाग को घटाए बिना) की जाती रहेगी।

पेंशन के संराशीकृत मान (सी वी पी) की गणना का सूत्र है-

सी वी पी = 40% (X) संराशीकरण गुणांक* (X) 12

*संराशीकरण गुणांक, इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुलग्नक के रूप में नई तालिका के अनुसार, संराशीकरण पूर्ण होने की तिथि की अगली जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

ऊपर

मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान

यह सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय है। एक बार एकमुश्त लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा और सेवा उपदान/पेंशन प्राप्त करने की पात्रता अनिवार्य है। पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अवधि सेवानिवृत्ति उपदान की गणना सेवानिवृत्ति से पूर्व मूल मासिक वेतन के एक-चौथाई और आहरित मंहगाई भत्तो के योग के आधार पर की जाती है। उपदान धनराशि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति उपदान, परिलब्धियों के 16½ गुना देय है, किंतु अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है।

मृत्यु उपदान

यह सीपीएफ लाभार्थियों सहित सेवाकाल के दौरान स्थायी, स्थायीवत् या अस्थायी सरकारी-कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को एक बार देय एकमुश्त लाभ है। इसके लिए मृतक कर्मचारी द्वारा कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मृत्यु उपदान की हकदारी निम्नवत् है:

अर्हक सेवा	दर
एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 2 गुना
एक वर्ष या अधिक किंतु 5 वर्षों से कम	परिलब्धियों का 6 गुना
5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्षों से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
20 वर्ष या अधिक	पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अर्हक सेवा की परिलब्धियों का आधा, बशर्ते अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुना है।

दिनांक 01.01.2006 से मृत्यु उपदान की अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

सेवा उपदान

यदि सेवानिवृत्ति होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की कुल अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम है, तो वह सेवा उपदान पाने का हकदार होगा (पेंशन नहीं)। यह देय राशि, पूर्ण किए गए प्रत्येक छह माह की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन के आधे के बराबर होगी। इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम धनराशि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। एक बार एकमुश्त दिया जाने वाला यह भुगतान, सेवानिवृत्ति उपदान से अलग है और उसके अतिरिक्त दिया जाता है।

अदेयता (बेबाकी) प्रमाण पत्र जारी किया जाना

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, सेवनिवृत्ति से 2 माह पूर्व सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी पर सरकारी आवास का लाइसेंस शुल्क, अग्रिम वेतन एवं भत्तों के अधिभुगतान के रूप में बकाया का आकलन करना होता है, और लेखा अधिकारी को सूचित करना होता है, ताकि भुगतान किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान से इनकी वसूली की जा सके। इस प्रयोजन के लिए सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार सामान्य किराया पर आवास बनाए रखने की स्वीकृत अवधि तक लाइसेंस शुल्क का आकलन किया जाता है। इस अवधि के उपरांत लाइसेंस शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की है। यदि किसी कारणवश समय से बकाया का आकलन नहीं किया जा सकता है, तो उपदान की 10% राशि रोक ली जाती है।

ऊपर

सामान्य भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार एक वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी पुन: नियुक्त सभी पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि के जिए पात्र पेंशनभोगियों को छोड़कर) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस निधि में अंशदान करने के पात्र हैं। अंशदाता की निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय, निर्धारित प्रपत्र में एक नामांकन करना होता है, जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के उपरांत उस निधि के खाते में जमा देय धनराशि या भुगतान नहीं की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अंशदाता को अपनी निलंबन की अवधि को छोड़कर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करना होता है। अधिवर्षिता की तिथि से 3 माह पूर्व भविष्य निधि में अंशदान बंद कर दिया जाता है । न्यूनतम अंशदान की दर अंशदाता की कुल परिलब्धियों का 6% और अधिकतम कुल परिलब्धियों के बराबर होगी। 01.04.2009 से सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृध्दि है और यह दर सरकारी अधिसूचना के अनुसार बदलती है । किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजना के लिए निधि से अग्रिम/निकासी के बारे में नियमावली में उल्लेख किया गया है।

जमा आधारित संशोधित बीमा योजना

सामान्य भविष्य निधि नियमावली के तहत, अंशदाता की मृत्यु होने पर, अंशदाता के खाते में जमा धनराशि को प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति को अंशदाता की मृत्यु के ठीक पहले 3 वर्षों की अवधि के दौरान औसत शेष धनराशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते संबंधित नियमों की विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों। उस नियम के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि 60,000/- रु. से अधिक नहीं होगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अंशदाता द्वारा अपनी मृत्यु के समय न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होनी चाहिए।

ऊपर

अंशदायी भविष्य निधि

अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन किसी भी सेवा के गैर-पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है। उस निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय अंशदाता को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन करना होता है, जिसमें वह अपनी मृत्यु होने पर एक या अधिक व्यक्तियों को अपने खाते में जमा राशि देय होने से पूर्व या जिसका भुगतान नहीं किया गया हो, की प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

अंशदाता को डयूटी पर या विदेश सेवा में रहते हुए मासिक अंशदान करना होता है, किंतु निलंबन की अवधि के दौरान नहीं। अंशदान की दर परिलब्धियों की 10% से कम, एवं कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी। अंशदाता के नियोक्ता का अंशदान जमा किया जाएगा और यह 10% है। 01.04.2009 से ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृध्दि दर से है। इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अंशदायी भविष्य निधि नियमावली की तरह अंशदायी भविष्य निधि नियमावली में भी जमा आधारित संशोधित बीमा योजना का प्रावधान है।

ऊपर

छुट्टी का नकदीकरण

केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के तहत छुट्टी के नकदीकरण का लाभ है, पेंशन संबंधी लाभ नहीं। सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित छुट्टी/अर्ध-वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, बशर्ते यह अधिकतम 300 दिनों का है। छुट्टी के नकदीकरण में विलंब के लिए उस नियमावली के तहत किसी ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

ऊपर

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना

सेवा के दौरान मासिक अंशदान के एक भाग को बचत निधि में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज देय है। सेवा ग्रहण करते समय सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त योजना के प्रपत्र 4 में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन करना होता है, जो अंशदाता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित बचत निधि में भुगतान हेतु

इतिहास की प्रमुख घटनाएँ

मुस्लिम लीग की स्थापना :- 1906 ई०
मार्ले - मिन्टो सुधार :- 1909 ई०
प्रथम विश्वयुद्ध :- 1914 -18 ई०
द्वितीय विश्वयुद्ध :- 1939 - 45 ई०
असहयोग आंदोलन :- 1920 - 22 ई०
साइमन कमीशन का आगमन :- 1928 ई०
दांडी मार्च नमक सत्याग्रह :- 1930 ई०
गाँधी इरविन समझौता :- 1931 ई०
कैबिनेट मिशन का आगमन :- 1946 ई०
महात्मा गांधी की हत्या :- 1948 ई०
चीन का भारत पर आगक्रम :- 1962 ई०
भारत - पाक युद्ध :- 1965 ई०
ताशकंद- समझौता :- 1966 ई०
तालिकोटा का युद्ध :- 1565 ई०
प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध :- 1776- 69 ई०
द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध :- 1780- 84 ई०
तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध :- 1790- 92 ई०
चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध :- 1799 ई०
कारगिल युद्ध :- 1999 ई०
प्रथम गोलमेज सम्मेलन :- 1930 ई०
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन:- 1931 ई०
तृतीय गोलमेज सम्मेलन :- 1932 ई०
क्रिप्स मिशन का आगमन :- 1942 ई०
चीनी क्रांति :- 1911 ई०

भारत में आर्यों का आगमन :- 1500 ई०पू०
महावीर का जन्म :- 540 ई०पू०
महावीर का निर्वाण :- 468 ई०पू०
गौतम बुद्ध का जन्म :- 563 ई०पू०
गौतम बुद्ध का महापरिवार्न :- 483 ई०पू०
सिकंदर का भारत पर आक्रमण :- 326-325 ई
अशोक द्वारा कलिंग पर विजय :- 261 ई०पू०
विक्रम संवत् का आरम्भ :- 58 ई०पू०
शक् संवत् का आरम्भ :- 78 ई०पू०
हिजरी संवत् का आरम्भ :- 622 ई०
फाह्यान की भारत यात्रा :- 405-11 ई०
हर्षवर्धन का शासन :- 606-647 ई०
हेनसांग की भारत यात्रा :- 630 ई०
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण :- 1025 ई०
तराईन का प्रथम युद्ध :- 1191 ई०
तराईन का द्वितीय युद्ध :- 1192 ई०
गुलाम वंश की स्थापना :- 1206 ई०
वास्कोडिगामा का भारत आगमन :- 1498 ई०
पानीपत का प्रथम युद्ध :- 1526 ई०
पानीपत का द्वितीय युद्ध :- 1556 ई०
पानीपत का तृतीय युद्ध :- 1761 ई०
अकबर का राज्यारोहण :- 1556 ई०
हल्दी घाटी का युद्ध :- 1576 ई०
दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना :- 1582 ई०
प्लासी का युद्ध :- 1757 ई०
बक्सर का युद्ध :- 1764 ई०

सभी प्रतियोगी परीक्षा के best study material के लिये सम्पर्क करें

110. जैन साहित्य को कहा जाता है - आगम
111. ईसा मसीह का जन्म - 4 ईसा पूर्व (बेथलेहम में)
112. ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया - 33 ई.
113. मगध की राजधानी राजगृह (गिरिवृज)
114. 16 महाजनपदों की सूची - अंगूतर निकाय में
115. शिशुनाग वंश का संस्थापक - शिशुनाग
116. हर्यक वंश का संस्थापक - बिंबिसार
117. पाटलिपुत्र की स्थापना की थी - उदयिन ने
118. पाटलिपुत्र बसाया - गंगा व सोन के संगम पर
119. अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था - बिंदुसार
120. अवंती की राजधानी थी - उज्जैन
121. नन्द वंश का संस्थापक था - महापद्मनद
122. नन्द वंश का अंतिम शासक था - घनानन्द
123. भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया - ईरान ने
124. भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक - सिकन्दर
125. सिकन्दर एवं पोरस के बीच का युद्ध - हाइडेस्पीज का युद्ध
126. हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ - झेलम नदी के किनारे
127. सिकन्दर की मृत्यु - 323 ईसा पूर्व (बेबीलोन में)
128. मौर्य वंश का संस्थापक - चन्द्रगुप्त मौर्य
129. मौर्य वंश की जानकारी मिलती है - विष्णु पुराण से
130. सुदर्शन झील का निर्माण करवाया - चन्द्रगुप्त मौर्य
131. चंद्रगुप्त अनुयायी था - जैन धर्म का

WhatsApp सम्पर्क सूत्र - 8107142208

आप यूपी में कहाँ से हो ?

UP 11 सहारनपुर	UP 36 अमेठी	UP 66 भदोही
UP 12 मुजफ्फरपुर	UP 37 हापुड़	UP 67 चंदौली
UP 13 बुलंदशहर	UP 38 संभल	UP 70 प्रयागराज
UP 14 गाजियाबाद	UP 40 बहराइच	UP 71 फतेहपुर
UP 15 मेरठ	UP 41 बाराबंकी	UP 72 प्रतापगढ़
UP 16 नोएडा	UP 42 फैजाबाद	UP 73 कौशाम्बी
UP 17 बागपत	UP 43 गोंडा	UP 74 कन्नौज
UP 18 प्रबुद्ध नगर	UP 44 सुल्तानपुर	UP 75 इटावा
UP 19 शामली	UP 46 श्रावस्ती	UP 76 फरुखाबाद
UP 20 बिजनौर	UP 47 बलरामपुर	UP 77 कानपुर देहात
UP 21 मुरादाबाद	UP 50 आजमगढ़	UP 78 कानपुर शहर
UP 22 रामपुर	UP 51 बस्ती	UP 79 औरैया
UP 23 ज्योतिबाफुलेनगर	UP 52 देवरिया	UP 80 आगरा
UP 24 बदायूं	UP 53 गोरखपुर	UP 81 अलीगढ़
UP 25 बरेली	UP 54 मऊ	UP 82 फिरोजाबाद
UP 26 पीलीभीत	UP 55 सिध्दार्थ नगर	UP 83 एटा
UP 27 शाहजहापुर	UP 56 महाराज गंज	UP 84 मैंयपुर
UP 28 अयोध्या	UP 57 पडरौना	UP 85 मथुरा
UP 29 फैजाबाद	UP 58 संत कबीर नगर	UP 86 महामाया नगर
UP 30 हरदोई	UP 60 बलिया	UP 87 कांशीराम नगर
UP 31 खीरी	UP 61 गाजीपुर	UP 90 बाँदा
UP 32 लखनऊ	UP 62 जौनपुर	UP 91 हमीरपुर
UP 33 रायबरेली	UP 63 मिर्ज़ापुर	UP 92 जालौन
UP 34 सीतापुर	UP 64 सोनभद्र	UP 93 झाँसी
UP 35 उन्नाव	UP 65 वाराणसी	UP 94 ललितपुर
		UP 95 महोबा

बच्चों :- "पाकिस्तान कि राजधानी" कहा है ?
एक बच्चा :—दिल्ली .....
टिचर :— कैसे ?
बच्चा :— जब आप,"भारत की राजधानी दिल्ली"में,अगर कभी," घूमने" आएँ.......
तब,आपको पता चलेगा कि,आप "शाहजहां" रोड़ से निकलकर, "अकबर" रोड़ पर पहुँच जायेंगे |
आगे जाकर, "बाबर" रोड़ पर मुड़ जायेंगे । फिर "हुमायूं" रोड़ पर सीधे चले जाइयेगा ।
गोल चक्कर मिलेगा,जहाँ से आप, "तुगलक" लेन में घुस जायेंगे!!!
"औरंगजेब" रोड़ पर आगे बढिये ....."सफदरजंग" रोड़ आ जाएगी ।!!
इसके बाद,"तुगलकाबाद" एवं "जामिया नगर"होते हुए,"कुतुबमीनार" तक जाइए......
और जब इस"सूफियाने माहौल'में,"दम घुटने लगे" तो....."...
"सराय कालेखाँ" होते हुए...
"निजामुद्दीन" रेलवे स्टेशन से,अपने शहर की,"रेलगाड़ी"में बैठिए,और घर वापस आ जाइये !!!!
और,"घर बैठ कर",सोचते रहिये...............
"दिल्ली"....."भारत की राजधानी" है.???? या,"पाकिस्तान" की ???
ना महाराणा प्रताप ना वीर शिवाजी ना बाबू राजेंद्र प्रसाद ना वीर कुँअर सिंह और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक...हमने लगभग सभी को भुला दिया है ...
बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आँखें खोलिए और सोचिए सभी..

IPC की प्रमुख धाराएं व सजा

- धारा-140 अवैध रूप से हथियार रखना
- धारा-510 शराब पी कर हंगामा करना
- धारा-420 धोखाधड़ी या फ्राड करना
- धारा-295 धार्मिक स्थल का अपमान/नुकसान
- धारा-489B जाली नोट चलाना
- धारा-509 किसी महिला को इशारा करना
- धारा-147 सार्वजनिक स्थल पर दंगा करना
- धारा-279 गलत तरीके से ड्राइविंग करना
- धारा-359 अपहरण करना
- धारा-300 हत्या करना
- धारा-376 बलात्कार
- धारा-378 चोरी करना
- धारा-309 आत्म हत्या की कोशिश
- धारा-312 गर्भपात कराना
- धारा-302 हत्या का मामला
- धारा-307 हत्या की कोशिश
- धारा-124क राजद्रोह
- धारा-159 दंगा
- धारा-177 झूठी सूचना देना
- धारा-191 झूठा साक्ष्य देना
- धारा-212 अपराधी को शरण देना
- धारा-231 सिक्के का कूट करण
- धारा-255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण
- धारा-264 तौलनें के लिये खोटे उपकरणों का प्रयोग
- धारा-268 लोक न्यूसेन्स

DR. DEV SINGH
9455918439

- धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण
- धारा 272 खाद्य या पेय वस्तुओं का अपमिश्रण
- धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय
- धारा 294 अश्लील कार्य और गाने
- धारा 294 क लाटरी कार्यालय रखना
- धारा 297 कब्रिस्तानों में अतिचार
- धारा 299 आपराधिक मानव वध
- धारा 304 गैर इरादतन हत्या दण्ड
- धारा 304 ख दहेज मृत्यु
- धारा 310 ठग
- धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात
- धारा 320 घोर आघात
- धारा 319 क्षति पहुंचाना
- धारा 326 क एसिड हमले
- धारा 351 हमला
- धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करने
- धारा 354 क यौन उत्पीड़न
- धारा 354 ख औरत को नंगा करने के इरादे से कार्य
- धारा 354 ग छिप कर देखना
- धारा 354 घ पीछा
- धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात
- धारा 370 मानव तस्करी
- धारा 372 नाबालिग को बेचना वेश्यावृत्ति प्रयोजन
- धारा 383 जबरन वसूली
- धारा 390 लूट
- धारा 391 डकैती
- धारा 403 सम्पत्ति का गबन

DR. DEV SINGH
9455918439

Follow on: Facebook official page & Telegram chanal - Dev Singh Educational Hub - 9455918439

- धारा 415 छल
- धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल
- धारा 417 छल के लिये दण्ड
- धारा 418 छल से व्यक्ति को सदोष हानि
- धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड
- धारा 424 सम्पत्ति का बेइमानी से
- धारा 425 रिष्टि / कुचेष्टा
- धारा 426 रिष्टि के लिए दण्ड
- धारा 427 कुचेष्टा 50₹ का नुकसान
- धारा 428 जीव जंतु को वध करने
- धारा 431 लोक सड़क, पुल नदी या जल सरणी को क्षति
- धारा 435 कृषि उपज को हानि करने के उद्देश्य से
- धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि
- धारा 441 आपराधिक अतिचार
- धारा 442 गृह अतिचार
- धारा 443 प्रच्छन्न गृह अतिचार
- धारा 444 रात्रौ प्रच्छन्न गृह- अतिचार
- धारा 445 गृह भेदन
- धारा 446 रात्रौ गृह भेदन
- धारा 456 रात में छिपकर गृह भेदन
- धारा 463 कूट रचना
- धारा 464 मिथ्या दस्तावेज
- धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग
- धारा 489 क करेंसी नोटों का कूटकरण
- धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुन: विवाह
- धारा 495 पूर्व विवाह को छिपा कर आगामी विवाह
- धारा 497 व्यभिचार

DR. DEV SINGH
9455918439

- धारा 498 विवाहित स्त्री को फुसला कर भगाना
- धारा 498A स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता
- धारा 499 मानहानि
- धारा 500 मानहानि के लिये दण्ड
- धारा 503 अपराधिक अभित्रास
- धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ अपमान
- धारा 505 लोक रिष्ट कारक वक्तव्य
- धारा 506 धमकाना
- धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास
- धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान मे दुराचार

DR. DEV SINGH
9455918439